



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 481 / SEIAA/2022

Date: 20/5/22

प्रति,

मेसर्स नवरत्नामल गौगलिया एंड संस मदनपुरा लेटेराईट एंड फायरक्ले माईन,
श्री शरद चन्द्रा गौगलिया, इन्ड्रस्ट्रियल एरिया, कटेय घाट रोड़, कटनी
जिला कटनी (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्रमांक 9069/2022 - परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नवरत्नामल गौगलिया एंड संस मदनपुरा लेटेराईट एंड फायरक्ले माईन, श्री शरद चन्द्रा गौगलिया, इन्ड्रस्ट्रियल एरिया, कटेय घाट रोड़, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट एंड फायरक्ले माईन खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20848 टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.80 हेक्टेयर, खसरा नं. 294, 296/2, 298/1, 299, ग्राम मदनपुर, तहसील मुरवारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


प्रकरण SEAC समिति की 566 वी बैठक दिनांक 15.04.2022 में की गई अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 722 वी बैठक दिनांक 07.05.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

.....इस प्रकरण में भी समिति पुनः गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के चारों ओर की स्थिति का अवलोकन कर समिति अपनी पूर्व में 561वीं दिनांक 21/03/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लेती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से प्रकरण को **Delist** करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान पूर्व से खुदी होना एवं 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान होना परिलक्षित है। अतः कलेक्टर कटनी से प्रस्तावित खदान में परिलक्षित हो रही खुदाई के संबंध में स्पष्टीकरण एवं 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण Delist किया जाता है।



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 482 /SEIAA/2022

दिनांक - 20/5/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - कटनी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - कटनी (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - कटनी (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी